न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

20 / 2023

वसी अहमद एडवोकेट जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर टोंक राज० --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टोंक महोदय, के आदेश क्रमांक 2776 / भू. अ. / 98 दिनांक 31.08.1998 पटवारी हल्का गर्बी कस्बा टोंक को मृतक नजीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल जान खां के वारिसो के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया। उक्त आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त आदेश की छाया प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न हैं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 519 दिनांक 28.06.2023 595 दिनांक 10.07.2023 व 693 दिनांक 24.07.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 8531 दिनांक 1.08.2023 से जवाब प्रेषित कर जवाब में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना एक जनरल पत्र है तथा अपीलान्ट द्वारा यह भी अवगत नही कराया है कि किस पत्रावली से संबंधित है। कार्यालय में तलाश करने पर उक्त पत्र नही पाया गया, परन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलान्ट नें मृतक नजीर मोहम्मद के वारिसान के नाम वाके ग्राम कस्बा गर्बी में नामान्तकरण दर्ज किया गया के संबंध में सूचना चाही गयी है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर